राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 24/01/2022 को संपन्न 395वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022 को डॉ. बी.पी. नौन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **392वीं, 393वीं एवं 394वीं बैठक क्रमशः दिनांक 10/01/2022, 11/01/2022 एवं 12/01/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 392वीं, 393वीं एवं 394वीं बैठक क्रमशः दिनांक 10/01/2022, 11/01/2022 एवं 12/01/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स द्वारिका प्रसाद गुप्ता (पेण्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन), ग्राम–पेण्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 720)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/63780/2018, दिनांक 09/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/07/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 09/06/2021 को प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा आवेदक – मेसर्स द्वारिका प्रसाद गुप्ता (पेण्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन) की ग्राम–पेण्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–6.683 हेक्टेयर, क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 254/8 एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पृ. क्रमांक 8 में ग्राम–पेण्ड्रीडीह के स्थान पर ग्राम–नरदहा में संशोधन पाया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **टी.ओ.आर. हेतु किये गये आवेदन** के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2, जारी टी.ओ.आर. पत्र एवं फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा **पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन** के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2, एल.ओ.आई., अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं तत्समय किये गये प्रस्तुतीकरण में खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पृ. क्रमांक 8 में टंकन त्रुटिवश ग्राम–पेण्ड्रीडीह के स्थान पर ग्राम–नरदहा का उल्लेख हो गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा **टी.ओ.आर. हेतु किये गये आवेदन** के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2 में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख किया गया था। साथ ही यह भी पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा **पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन** के साथ प्रस्तुत फॉर्म–2, एल.ओ.आई., अनुमोदित माईनिंग प्लान, कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों एवं तत्समय किये गये प्रस्तुतीकरण में खसरा क्रमांक 254/8 का उल्लेख नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु किये गये आवेदन को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "खसरा क्रमांक 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259"

के स्थान पर

"खसरा क्रमांक 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259"

पढ़ा जाये।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पृ. क्रमांक 8 में लिपकीय त्रुटिवश उल्लेखित "ग्राम–नरदहा" **के स्थान पर** "ग्राम–पेण्ड्रीडीह" **पढ़ा जाये।**

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त आशय बाबत् संशोधन जारी करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, महासमुंद को जारी विधिवत् नोटिस के संबंध में।

प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2021 को संपन्न 110वीं बैठक के अनुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/09/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विधिवत् नोटिस जारी किये जाने का निर्णय लिया गया था।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 952/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/06/2021 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 823/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./2016 नवा रायपुर, दिनांक 12/09/2016 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने बाबत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें परियोजना

प्रस्तावक को अपना पक्ष नोटिस प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त नोटिस के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/08/2021 (प्राप्ति दिनांक 16/08/2021) द्वारा उत्तर / पक्ष लिखित में प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/09/2021 को सम्पन्न 115वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती, नोटिस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर / पक्ष का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति** से नोटिस के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त लिखित उत्तर / पक्ष का तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही बाबत् उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति द्वारा उक्त नोटिस (एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 923/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./2018 नया रायपुर, दिनांक 12/09/2016 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने बाबत् कारण बताओ नोटिस) के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/08/2021 द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर / पक्ष का अवलोकन किया गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान से गोमर्डा अभयारण्य की सीमा 01 कि.मी. से अधिक है एवं इसके आधार पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु कोई भी कानून नहीं है। इस परिपेक्ष्य में समिति द्वारा निम्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया:–

   - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 02/12/2009 में फॉरेस्ट लेण्ड तथा वाइल्ड लाईफ हेबिटेट में शामिल क्षेत्र के प्रस्तावों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। जिसके अनुसार फॉरेस्ट लेण्ड एवं वाइल्ड लाईफ हेबिटेट शामिल प्रस्तावों तथा / और राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में स्थित होने की दशा में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का निम्न प्रावधान किया गया था–

     "... while granting environment clearace to projects involving forestland, wildlife habitat (core zone of elephant/tiger reserve etc.) and or located within 10 km of the National Park Wildlife Sanctuary (at present the distance of 10 km has been taken in conformity with the order dated 04/12/2006 in writ petition no 460 of 2004 in the matter of Goa foundation Vs Union of India), a specific condition shall be stipulated that the environment clearace is subject to their obtaining prior clearance from forestry and wildlife angle including clearance from the Standing Committee or the National Board for wildlife as applicable ..."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/08/2019 द्वारा पूर्व में जारी उक्त निर्देश को अधिक्रमित करते हुये 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र स्थित होने पर डेवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की प्रकिया निर्धारित की गई है। जिसमें डेवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त उत्खनन परियोजनाओं हेतु भी निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्खनन परियोजनाओं या राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के सीमा से 01 कि.मी. के भीतर (जो भी अधिक हो) उत्खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

2. गठित जांच समिति के प्रतिवेदन एवं समिति के परीक्षण के आधार पर खदान की सीमा एवं गोमर्डा अभयारण्य की सीमा की दूरी 01 कि.मी. से कम होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं किया जा सकता है। अतः जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

3. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद में अन्य 2 खदानों यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल की खदानों की सीमा एवं गोमर्डा अभयारण्य की सीमा की दूरी बाबत् जानकारी हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः समिति का मत है कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2019 द्वारा खदान की उत्खनन क्षमता विस्तार (60,006 टन से 5,56,500 टन) के लिए जारी स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) को निरस्त किये गये आवेदन में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1883/क./ख.लि./न.क./2017 महासमुंद, दिनांक 09/11/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल, क्षेत्रफल 23.86 हेक्टेयर होना बताया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद में अन्य 2 खदानें यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विधिवत् नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, महासमुंद को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/09/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

2. ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद में अन्य 2 खदानें यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विधिवत् नोटिस जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अवधेश जैन), ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 580)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/63990/2017, दिनांक 15/04/2017 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/63696/2018, दिनांक 05/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल–7.044 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–94,500 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 18/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवधेश जैन, प्रोपराईटर सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरसीस माईन–टेक कन्सलटेन्टस की ओर से डॉ. अंजली हरीनाउ चाचाने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल– 7.044 हेक्टेयर, क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 27/10/2009 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष (For Commissioning of mine operation) तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 05/03/2018 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2008–09	2,223.75
2009–10	2,223.75
2010–11	3,890.62
2011–12	3,890.62
2012–13	5,555.62
2013–14	निरंक
2014–15	
2015–16	
2016–17	37,800
2017–18	37,800

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला–रायपुर के पत्र क्रमांक 3010/तीन–6/ख.प. 11/07 रायपुर दिनांक 03/11/2011 एवं पत्र क्रमांक 1398/तीन–6/ख.प. 11/07 रायपुर दिनांक 20/09/2012 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के मवेशी की संख्या के अनुरूप आवश्यक चराई रकबा 40 हेक्टेयर भूमि सुरक्षित होना बताया गया है। ग्राम में शासकीय वन से भी चराई का निस्तार मिलता है तथा इस प्रकार ग्राम में चराई रकबा 115.984 हेक्टेयर है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना लीज आबंटित की गई है तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी जारी की गई है।

3. **उत्खनन योजना** – रिव्यु ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान (Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक रायपुर/चूप/खयो/1143/2017–रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनिज/2018/क्यू. रायपुर,

दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री अवधेश जैन के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2008 से 01/05/2028 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मंडलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमंडल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा./635 रायपुर, दिनांक 27/06/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पथराकुण्डी 0.45 कि.मी. एवं अस्पताल खरोरा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.77 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.47 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 0.2 कि.मी. एवं कलडबरी संरक्षित वन 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 49,16,420 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,72,793 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 10,095 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018–19	94,500
2019–20	94,500
2020–21	94,500
2021–22	94,500
2022–23	94,500

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति

ट्यूब वेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनकी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित ट्यूब वेल सार्वजनिक है अथवा निजी?

   i. यदि स्थित ट्यूब वेल लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

   ii. यदि ट्यूब वेल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 5,048 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 1 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम$_{2.5}$ 21.36 से 32.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम$_{10}$ 50.26 से 66.72 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.14 से 11.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 8.56 से 15.62 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

   iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

   iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 46.8 डीबीए से 64.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 40.8 डीबीए से 59.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 18/11/2020 दोपहर 12:00 बजे स्थान – पंचायत भवन, ग्राम पंचायत मरूवाडीह कला, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु व्यवस्था एवं सड़क निर्माण किया जाए।

   ii. मजदूरों की स्वास्थ्य की जाँच की व्यवस्था की जाए।

   iii. खदान के डस्ट उत्सर्जन से फसलों को नुकसान होगा।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार (उचित मजदूरी दर पर) दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। कंट्रोल ब्लास्टिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

ii. मजदूरों के समय–समय पर स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

iii. खदान में डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाएगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार (शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी प्रदान की जाएगी) हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कोई खदानें नहीं आती है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में (5,048 नग) वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 7,57,000/– प्रथम वर्ष में तथा आगामी चार वर्षों में अनुमानित राशि 5,07,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों के संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 97,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
88.11	2%	1.76	Following activities at Government Primary and Middle	

			Schools, **Village-Pathrakundi**	
			Rain Water Harvesting System in Government Primary School **Village-Pathrakundi**	0.855
			Rain Water Harvesting System in Government Middle School **Village-Pathrakundi**	0.915
			Total	**1.770**

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. उपरोक्त विवरण को स्पष्ट करते हुये पेयजल आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 एवं 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. आवेदित भूमि शासकीय भूमि है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेयजल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के भीतर स्थित ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 744/ख. लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा विगत वर्ष 2017 से जून, 2021 तक उत्खनन कार्य निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 744/ख. लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे

मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/खनिज/2018/वयू रायपुर, दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पथराकुण्डी) का रकबा 7.044 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना लीज आबंटित की गई थी तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी जारी की गई थी। साथ ही रीव्हयु ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान (Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक रायपुर/खूप/खयो/1143/2017–रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा अनुमोदित है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं होते हुए यथावत है, केवल उत्खनन क्षमता में वृद्धि हो रही है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में निम्न प्रावधान है:–

   "Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

3. उपरोक्त तथ्यों पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अखिलेश जैन) की ग्राम–पथराकुण्डी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2 में स्थित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–7.044 हेक्टेयर, क्षमता – 94,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. खनिज विभाग द्वारा पूर्व में लीज दिये जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में खनिज विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही एवं निर्णय लेने के उपरांत भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में पेसा एक्ट (PESA Act) के तहत् परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तुत रीव्हयु ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान अनुसार ग्राम-पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की दूरी 1 कि.मी. एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी (Presentaion copy) में खदान खदान स्थल की दूरी 0.45 कि.मी. बताई गई है। अतः उक्त स्पष्टीकरण करते हुये ग्राम-पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी खनि अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में पेसा एक्ट (PESA Act) का अवलोकन किया गया।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ग्राम-पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी खनि अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मोहनपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रामप्रदेश वर्मा), ग्राम-मोहनपुर, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1124)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/131694/2019, दिनांक 11/01/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/01/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मोहनपुर, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 616, कुल क्षेत्रफल-1.36 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 30/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामप्रदेश वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 616, कुल क्षेत्रफल– 1.36 हेक्टेयर, क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1144/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 13/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2011–12	निरंक
2012–13	
2013–14	347
2014–15	163
2015–16	297
2016–17	60
2017–18	60
2018–19	110
2019–20	110
2020–21	100

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहनपुर का दिनांक 05/11/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2017/549 रायपुर, दिनांक 17/08/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/489/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव,

दिनांक 23/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/489/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 23/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री रामप्रदेश वर्मा के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 17/02/2012 से 16/02/2022 की अवधि तक है। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 17/02/2022 से 16/02/2042 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, डोंगरगढ़ उप वनमण्डल, डोंगरगढ़ सामान्य वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2356, दिनांक 27/12/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहनपुर 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मोहनपुर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,49,600 टन, माईनेबल रिजर्व 92,008 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 73,008 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,358 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 5.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	10,000

तृतीय	10,000
चतुर्थ	10,000
पंचम	10,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,358 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पश्चिम दिशा में 180 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तें के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, **Village- Mohanpur**	
			Rain Water	0.50

			Harvesting System	
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.10
			Total	**0.80**

17. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर में निर्धारित शर्तानुसार 800 नग वृक्षारोपण किया जाना था। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि शेष वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर वृक्षारोपण की जानकारी फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर में शेष वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर वृक्षारोपण की जानकारी फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मुरा "ब" सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक कुमार अग्रवाल), ग्राम–मुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1739)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220876 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–मुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 241, कुल क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू महंत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुरा का दिनांक 13/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1060/ख.लि.–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1061/ख.लि.–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1061/ख.लि.–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 809/ख.लि.–3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं गोमर्डा अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुरा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मुरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 39 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 411 मीटर, न्यूनतम 355 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 299 मीटर, न्यूनतम 295 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 157 मीटर,

न्यूनतम 147 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.18 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक से हस्ताक्षरित है, परंतु खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. सी.ई.आर. का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही करंज एवं जामुन प्रजाति को भी सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं गोमर्डा अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

4. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

8. उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स रक्शापाली सेण्ड माईन (प्रो.– श्री प्रभात लाट), ग्राम–रक्शापाली, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1741)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220874 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–रक्शापाली, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 323, कुल क्षेत्रफल–2.045 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 31,560 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू महंत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रक्शापाली का दिनांक 09/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1052/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1052/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 807/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, खरसिया परिक्षेत्र, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/रक्ष./1272 खरसिया, दिनांक 16/11/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है। जबकि उक्त प्रमाण पत्र में लीज सीमा से गोमर्डा अभयारण्य की वास्तविक दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रक्शापाली 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–रक्शापाली 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 41 कि.मी. दूर है। खदान से 450 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में एक पुल स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 297 मीटर, न्यूनतम 278 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 192 मीटर, न्यूनतम 187 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 114 मीटर, न्यूनतम 103 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 38 मीटर, न्यूनतम 34 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 31,560 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.18 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक से हस्ताक्षरित है, परंतु खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति

का मत है कि उक्त के संबंध में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – एनीकट खदान से 450 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान से 50 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र 4,670 वर्गमीटर रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 1.578 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. सी.ई.आर. का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही करंज एवं जामुन प्रजाति को भी सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं गोमर्डा अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
8. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 622)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29609/2017, दिनांक 20/10/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 221170/2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इंगाट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	–	1,20,000
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	–	34,600

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:–

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित क्षमता
इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से बिलेट्स / इंगाट उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
रोलिंग मिल से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष
फेब्रिकेशन युनिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,08,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन ऑनलाईन हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल से लगे हुये इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से किया जाएगा एवं शेष 12,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बिलेट री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से किया जाना प्रस्तावित है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, प्लांट मैनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में विषमता होने के कारण दिनांक 31 / 08 / 2021 को उनके द्वारा जानकारियों का पुनःपरीक्षण कर समिति के समक्ष आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री निखिल आहुजा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Area	2,800	10.05
2.	Rolling Mill	4,000	15.02
3.	GI Pipes & Fabriction unit	4,868	18.23
4.	Raw Material Yard	2,000	7.51
5.	Finished material & slag yard	1,500	5.63

6.	Road Area	900	3.40
7.	Open Area	1,800	6.70
8.	Greenbelt	8,802	33.01
Total		**26,670**	**100**

2. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Existing Quantity	After Amendment Quantity
1.	Sponge Iron	1,14,000 TPA	1,14,000 TPA
2.	Scrap	24,000 TPA	24,000 TPA
3.	Alloys	1,200 TPA	1,200 TPA
4.	Coal	5 TPD	36 TPD
5.	Lime	-	63 TPA

3. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु सेन्ट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। फयुजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग प्लांट में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फयुम एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।

4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 18,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 16,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग यूनिट को विक्रय किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा। लाईम स्लज को सीमेंट उद्योग को विक्रय किया जाएगा। ऐश को ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत

परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 32.340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/02/2021 तक थी। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 18,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **विद्युत खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु लगभग कुल 14.89 मेगावॉट विद्युत खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.व्ही.ए. (02 नग x 75 के.व्ही.ए.) का डी.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के भीतर सोलर प्लांट की स्थापना किया गया है। समिति का मत है कि सोलर प्लांट की क्षमता एवं फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षारोपण के स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रूपये 20,16,000/- जमा किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उद्योग परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर 0.364 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 910 नग पौधे लगाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1.244 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,110 नग पौधे रोपित किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख-रखाव

आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1015	1%	10.15	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	6.09
			Running Water Facility for Toilets	1.80
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
			Plantation with Fencing	1.00
			Total	**10.64**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–खुडमुड़ी, (2) शासकीय शाला ग्राम–खांगेरपेट (3) शासकीय शाला ग्राम–गोदामोर, (4) शासकीय शाला ग्राम–बोहरडीह, (5) शासकीय शाला ग्राम–भूरकोनी, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–माधी, (7) शासकीय शाला ग्राम–निनवा, (8) शासकीय शाला ग्राम–सनगुनी, (9) शासकीय शाला ग्राम–भरदा एवं (10) शासकीय शाला ग्राम–भेरवा में किया जाएगा।

11. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन हेतु एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान मे स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाए।

4. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।

5. जल आपूर्ति हेतु सीएसआईडीसी/जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री टैकराम साहू फ्लेग स्टोन (लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1486)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/186814/2020, दिनांक 06/12/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1344, कुल क्षेत्रफल–1.052 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन एवं क्रशर(यदि हो तो) हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

4. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात

निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संतोष कुमार यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1257/ख.लि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 18/11/2020 द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक कोई उत्पादन कार्य नहीं किया गया है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निरदा का दिनांक 16/01/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलौंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–6/उ.प. 117/2008/3003 रायपुर, दिनांक 23/01/2017 द्वारा अनुमोदित है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 के नियम 24 अनुसार प्रस्तुत क्वारी प्लान की वैधता समाप्त हो गई है। अतः अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 383/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 10.75 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विधाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विधाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन–6/2019/2014 रायपुर, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री टेकराम साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2008 से 30/04/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2018 से 30/04/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा./2343 रायपुर, दिनांक 23/08/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–निसदा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.55 कि. मी. दूर है। महानदी 0.15 कि.मी. एवं महानदी नहर 0.48 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – वर्तमान में प्रस्तुत क्वारी प्लान की वैधता छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 के नियम 24 अनुसार समाप्त हो गई है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 733 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन एवं क्रशर (यदि हो तो) हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

8. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री संजय यादव फ्लेगी लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1480)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/185938/2020, दिनांक 01/12/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेगी लाईम स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1345, कुल क्षेत्रफल–0.93 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 3,300 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **तत्समय सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्याम सुंदर यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2021/1169-2 रायपुर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा वर्ष 2009 से आज दिनांक तक कोई उत्पादन कार्य नहीं किया गया है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 16/01/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलौंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–6/उ.प./20/2017/3746 रायपुर, दिनांक 21/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 381/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.40 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन–6/2019/2013 रायपुर, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री संजय यादव के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2008 से 30/04/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2018 से 30/04/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा./2343 रायपुर, दिनांक 23/08/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 0.9 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–निसदा 0.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.53 कि.मी. दूर है। महानदी 0.11 कि.मी. एवं महानदी नहर 0.46 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,03,445 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 84,641 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 63,480 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,756 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,925	षष्टम	3,439
द्वितीय	3,000	सप्तम	3,525
तृतीय	3,112	अष्टम	3,600
चतुर्थ	3,225	नवम	3,712
पंचम	3,300	दशम	3,825

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 688 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,756 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः अंतिम खदान से 500 मीटर क्लस्टर में कोई खदान नहीं है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (द्वितीय पक्ष) की जानकारी प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

9. उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्रीमती मंजू अग्रवाल), ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1742)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220855 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,106 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27 / 08 / 2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021:

समिति द्वारा नस्ती / अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **तत्समय सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भीमसेन अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर, क्षमता-1,047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्माघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर द्वारा दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 47/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 15/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017 तक	216
2018	378
2019	619

   v. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 13/02/2017 से दिनांक 12/02/2020 (3 वर्ष) हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिनांक 31/12/2019 तक उल्लेख है। अतः दिनांक 12/02/2020 तक किये गये उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत किया गया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक 11/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान, इन्हारोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पू. ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/खनि.2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 05/12/2020 के के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.868 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है

अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस माइनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3355/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती मंजू अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/02/2009 से 12/02/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/02/2019 से 12/02/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./51/2009 अम्बिकापुर, दिनांक 16/01/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवीपुर 0.68 कि.मी., स्कूल ग्राम–देवीपुर 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 3.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.15 कि.मी. दूर है। तालाब 0.37 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 56,589 टन, माईनेबल रिजर्व 21,637 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 19,473 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,697 घनमीटर है, जिसमें से 1,515 घनमीटर उत्खनन किया जा चुका है, जिसे सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया गया है, तथा शेष ऊपरी मिट्टी 1,182

घनमीटर को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि पर भण्डारित कर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं क्रशर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,108	षष्टम	1,905
द्वितीय	2,059	सप्तम	1,966
तृतीय	2,083	अष्टम	1,825
चर्तुथ	1,811	नवम	2,001
पंचम	1,942	दशम	1,776

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.25 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस आशय ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 420 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.08	2%	0.27	Following activities at Government Primary School, Village-Devipur	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Plantation	0.05
			Total	**0.50**

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, फेस–2, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1650)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/211530/2021, दिनांक 13/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा फेस–2 के समीप, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा नंबर 114/(10–12), कुल क्षेत्रफल – 14.928 एकड़ में हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल – 57,600 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 30.15 करोड़ होगा।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पलविंदर सिंह संधू, डीयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता - 28,800 टन प्रतिवर्ष एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता - 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से पृथक-पृथक सम्मति अनुसार एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स कुल क्षमता-57,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जा रहा है।

   प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उक्त दोनों इकाईयों को मिलाकर एक इकाई करते हुए वर्तमान में स्थापित एवं संचालित इण्डक्शन फर्नेस कुल क्षमता-57,800 टन प्रतिवर्ष से ही हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल की स्थापना कर रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता - 57,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति -**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता - 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 23/10/2018 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/09/2021 तक वैध है।

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता - 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 26/02/2020 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/01/2023 तक वैध है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -**

   - निकटतम शहर रायपुर 14.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 12.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 23.17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.22 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट -**

S.No.	Land use	Existing Area (in Acre) / Area (%)	After Expansion Area (in Acre) / Area (%)
1.	Plant Area (Including Offices)	1.4 (9.39%)	3.74 (25.09%)
2.	Open Area	7.5 (50.42%)	5.18 (34.72%)
3.	Plantation Area	6 (40.19%)	6 (40.19%)
Total		**14.928 (100%)**	**14.928 (100%)**

5. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For M.S Billets/ Ingots				
1.	Sponge Iron	53,767	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Pig Iron	12,168	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	FeMn, FeSi, Al	3,489	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill				
1.	Billets	57,800	Own	-

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Name of Unit	Existing Product Capacity (in TPA)	Proposed Product Capacity (in TPA)
1	Unit - II	M.S Billets/ Ingots - 28,800	TMT - 57,800
2	Unit - III	M.S Billets/ Ingots - 29,000	
Total		**57,800**	**57,800**

7. **समिति की संज्ञान में यह तथ्य आया** कि मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–3) इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पृथक–पृथक सम्मति प्राप्त की गई है, जबकि दोनों इकाईयाँ एक ही प्लांट परिसर तथा एक ही शेड में स्थापित एवं संचालित है। उद्योग द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के एम.एस. बिलेट्स/ इंगॉट्स कुल क्षमता–57,800 टन प्रतिवर्ष (28,800 टन प्रतिवर्ष + 29,000 टन प्रतिवर्ष) का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति निर्मित होती है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये, उनसे मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–3) को जारी पृथक–पृथक सम्मति के संबंध में, स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी दिनांक 31/08/2021 को प्रस्तुत की गई है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.के. गुप्ता, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एवं श्री देवाशीष सेन गुप्ता, पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 3854 दिनांक 31/08/2021 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

   (1) मैसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) के संबंध में:–

   - मैसर्स बल्देव एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) (स्टील डिवीजन) (प.ह.न. –90 खसरा क्रमांक 114/2–5, 114/8–9, कुल रकबा–8 एकड़), ग्राम–सिलतरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता – 28,800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति, क्रमशः पत्र क्रमांक–2258/आरओ/ टीएस/ सीईसीबी/2009 एवं 2256/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2009 एवं दिनांक 08/07/2009 के माध्यम से जारी की गई थी।

   - उपरोक्त इकाई के नाम परिवर्तन कि पश्चात् मैसर्स बल्देव एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) (स्टील डिवीजन) से मैसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2), ग्राम–सिलतरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) को उपरोक्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता हेतु जारी सम्मति दिनांक 08/07/2009 की नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/09/2021 तक है।

   - उपरोक्त इण्डक्शन फर्नेस एवं सी.सी.एम. इकाई प.ह.न.–20, खसरा क्रमांक 114/2–5, 114/8–9 में स्थापित एवं संचालित है।

   (2) मैसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–3) के संबंध में:–

   - मैसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–3) (खसरा न. 114/10–12, कुल रकबा–1.011 हेक्टेयर) सिलतरा फेस–2, जिला–रायपुर (छ.ग.) को एम. एस. इंगॉट्स/बिलेट्स क्षमता – 29,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति, पत्र क्रमांक–4868/ आरओ/ टीएस/ सीईसीबी/ 2018 एवं 4868/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2018, दिनांक 01/09/2018 के माध्यम से जारी की गई थी।

   - उक्त इकाई हेतु उपरोक्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता बाबत् जारी सम्मति दिनांक 01/09/2018 की नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/01/2023 तक है।

   - उपरोक्त इण्डक्शन फर्नेस इकाई प.ह.न.–20, खसरा क्रमांक 114/10–12 में स्थापित एवं संचालित है।

   उपरोक्त वर्णित दोनों इकाईयों को शामिल करते हुये परिसर में उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक खसरा क्रमांकों पर स्थापित एवं संचालित किया गया है।

2. यूनिट–2 एवं यूनिट–3 को समायोजित (Merge) कर, उसे हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में परिवर्तित किया जाएगा, परंतु बिलेट्स उत्पादन की क्षमता अपरिवर्तित होगी।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

Land use	Existing Area		After Expansion Area	
	Area (in SQM)	Area (%)	Area (in SQM)	Area (%)
Plant Area (Including offices)	6,111.06	14.37	15,686.06	36.88
Internal Roads	2,695.7	6.34	2,695.70	06.34
Plantation Area	15,075.36	35.45	15,075.36	35.45
Open Area	16,775.46	39.44	7,200.46	16.93
Other Area	1,870.84	4.40	1,870.84	04.40
Total	**42,528.42**	**100**	**42,528.42**	**100**

4. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम स्थापित है। प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। समिति का मत है कि चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में परियोजना हेतु इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 9,890 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 9,890 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से एण्ड कटिंग – 578 टन प्रतिवर्ष ठोस के रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को मेटल रिकवरी यूनिट एवं सड़क निर्माण में किया जाएगा। एण्ड कटिंग को पुनःउपयोग इण्डक्शन फर्नेस में किया जाएगा।

6. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान मे परियोजना हेतु कुल 185 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 12.5 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 72.5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 197.5 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 110 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 72.5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत औद्योगिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी एवं घरेलू उपयोग, वृक्षारोपण हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा

3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 14/05/2022 तक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

7. **विद्युत खपत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 8,000 के.व्ही.ए. का विद्युत खपत होगी, जिसकी आपूर्ति मेसर्स रामा उद्योग यूनिट–1 के कैप्टिव पॉवर प्लांट से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 750 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।

8. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 15,075.36 वर्गमीटर (35.45 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,250 नग पौधे रोपित किया जाएगा। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

9. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।

3. खिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्रीमती संगीता देवी रूंगटा (डुमरडीहकला लाईम स्टोन माईन), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1550)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एनआईएन/196701/2021, दिनांक 08/02/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/02/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 181/1, कुल क्षेत्रफल–1.296 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,400 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साहिल रूंगटा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 181/1, कुल क्षेत्रफल-1.296 हेक्टेयर, क्षमता-11,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 231/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/01/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन
2014-15	3,700
2015-16	299
2016-17	4,011
2017-18	7,000
2018-19	7,000
2019-20	12,200

    v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में उत्पादन की इकाई (Unit) का उल्लेख नहीं है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 28/03/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्रूव्ड क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 391/खनि 02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 27/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/217/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 25/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 32.47 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2566/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती संगीता देवी रूंगटा के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/08/2008 से 25/08/2013 तक थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 26/08/2013 से 25/08/2018 तक थी। तत्पश्चात् लीज 20 वर्षो अर्थात् दिनांक 26/08/2018 से 25/08/2038 तक विस्तारित है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री महेन्द्र कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /5–19/3983 राजनांदगांव, दिनांक 16/05/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेल्काडीह 0.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–ठेल्काडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–ठेल्काडीह 0.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.77 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 0.4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,86,850 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 2,38,350 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 2,14,515 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,485 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,260 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 23.56 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2020	11,200	2025	11,200
2021	10,500	2026	10,500
2022	11,375	2027	11,375
2023	8,750	2028	8,750
2024	8,750	2029	8,750

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.76 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,485 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 952.5 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में उत्पादन की इकाई (Unit) का उल्लेख करते हुये खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन एवं क्रशर (यदि हो तो) हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री महेश कुमार लोहानी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1527)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 193223/2021, दिनांक 18/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/01/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 87, 89, 90 एवं 91, कुल क्षेत्रफल–1.113 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश लोहानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /4043/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 13/10/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2014–15	5,599
2015–16	5,618
2016–17	निरंक
2017–18	
2018–19	
2019–20	

   iii. उक्त जानकारी में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में किये गये उत्खनन के विवरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
   iv. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव में दिनांक 23/01/2017 को आवेदन किया गया था। तत्समय आवेदित क्षेत्र मनघटा वन क्षेत्र से 250 मीटर के अंतर्गत आने के कारण उक्त प्रकरण को दिनांक 29/01/2018 द्वारा निरस्त किया गया था।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 26/08/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5435/खनि 02/मा. प्ल.अनुमोदन/न.क.05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 17/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 972/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 22 खदानें, क्षेत्रफल 23.722 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 331/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 05/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री महेश कुमार लोहानी के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/01/2013 से 29/01/2018 तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 49/2018 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 02/06/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार "**उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये प्रकरण कलेक्टर राजनांदगांव को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकारी रायपुर के पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर अग्रिम कार्यवाही एवं पूरक अनुबंध निष्पादन हेतु छः माह की अतिरिक्त अवधि बढ़ाई जाती है। तदानुसार पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 49/2018 स्वीकार किया जाता है।**" होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि. /5–19/7937 राजनांदगांव, दिनांक 06/11/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 1.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुढ़ीपार 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। तालाब 850 मीटर दूर है। मनघटा वन क्षेत्र 0.19 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 9,18,225 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,77,015 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 1,35,015 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,333 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम

गहराई 33 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000	छष्टम	12,000
द्वितीय	12,000	सप्तम	12,000
तृतीय	12,000	अष्टम	12,000
चतुर्थ	12,000	नवम	12,000
पंचम	12,000	दशम	12,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित ट्यूब वेल सार्वजनिक है अथवा निजी?

   i. यदि स्थित ट्यूब वेल लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

   ii. यदि ट्यूब वेल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,333 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से दक्षिण दिशा में 652.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5.5 मीटर की गहराई एवं पश्चिमी दिशा में 375 वर्गमीटर क्षेत्र 4.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में 50 मीटर (1.133 वर्गमीटर) को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।

18. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मोटाई 1 मीटर है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा, उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. मनघटा वन क्षेत्र से दूरी के संबंध में वन विभाग से जानकारी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त विवरण को स्पष्ट करते हुये पेयजल आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा, उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स खजुरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्रीमती जमुना बाई पाढे), ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1735)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218144/2021, दिनांक 02/12/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 247/16, कुल क्षेत्रफल – 0.951 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष कुमार वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 247/16, कुल क्षेत्रफल – 0.951 हेक्टेयर, क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 04/01/2017 से 31/03/2017	निरंक
2017–18	1,237
2018–19	2,000
2019–20	757.2
2020–21	1,822.4

v. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/01/2017 से दिनांक 5 वर्ष हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी अनुसार वर्ष 2018–19 में 2,000 घनमीटर एवं वर्ष 2020–21 में 1,822.4 घनमीटर का उत्पादन किया गया है। जो कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों से अधिक है। अतः उक्त प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सावरापुर का दिनांक 09/12/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – अधारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1234/ख.नि./तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 25/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 रेत खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विधाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस माइनरल क्षेत्र में विधाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्रीमती जमुना बाई पाढ़े के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/10/2012 से 29/10/2042 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खजुरी 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–खजुरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल सरगांव 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 50 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 19,020 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 16,190 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 405 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 950 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत पलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 11 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित खदानी प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500	षष्टम	1,500
द्वितीय	1,500	सप्तम	1,500
तृतीय	1,500	अष्टम	1,500
चतुर्थ	1,500	नवम	1,500
पंचम	1,500	दशम	1,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.56 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 194 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. लीज क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर शिवनाथ नदी है। समिति का मत है कि शिवनाथ नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखा जाना आवश्यक है। अतः शिवनाथ नदी से लीज क्षेत्र की तरफ अतिरिक्त 50 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक

है। अतः उक्त का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–मुंगेली द्वारा जारी विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन एवं नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उपरोक्त उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति का मत है कि ऑनलाईन आवेदन में उल्लंघन का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

19. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्पादन क्षमता 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक यथा वर्ष 2018–19 में 2,000 घनमीटर एवं वर्ष 2020–21 में 1,822.4 घनमीटर अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त टीप अनुसार आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स भैंसगांव लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करन भानुशाली), ग्राम–भैंसगांव, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1763)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 224584 / 2021, दिनांक 13 / 08 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भैंसगांव, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1057, कुल क्षेत्रफल– 1.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 26,260 टन प्रतिवर्ष है।
तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 02 / 09 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।
बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/09/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र मानुशाही, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सरसरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भैसगांव का दिनांक 07/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 390/खनिज/उत्खन.यो./2021—22 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला—बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1893/खनिज/ख.लि. 4/19/2020—21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस माइनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला—बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1895/खनिज/ख.लि.4/19/2020—21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की

परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1201/खनिज/ख.नि. 4/19/2020–21/खनिज/ज.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री नितेश भानुशाली के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, धनमण्डल जिला–बस्तर, के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./08 जगदलपुर, दिनांक 01/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 0.3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भैरमगांव 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–भैरमगांव 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मारकण्डी नदी 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,44,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 2,82,800 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,54,340 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,064 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सैमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,036 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	28,260	षष्टम	28,260
द्वितीय	28,260	सप्तम	28,260
तृतीय	28,260	अष्टम	28,260
चतुर्थ	28,260	नवम	28,260
पंचम	28,260	दशम	28,260

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 657 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,036 घनमीटर होगा, जिसको 7.5 मीटर में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से उक्त ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखा जाना उपयुक्त नहीं है। अतः ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु उपरोक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
27	2%	0.54	Following activities at Government Primary School, **Village-Bhaisgaon**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.25
			Total	**0.85**

18. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन,

2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री गिरवर अग्रवाल), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1785)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/67106/2021, दिनांक 30/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 804/1, 804/2, 805, 800/5क, 800/5ख, 806 एवं 807, कुल क्षेत्रफल– 4.007 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरवर अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष

अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज एवं प्रकरण में तकनीकी त्रुटियां होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उनके द्वारा आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अकलसरा का दिनांक 21/07/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंगकाईंड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5635/माईनिंग-2/क्यू.पी./एफ.न. 04/2021 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1036/गौण खनिज/न.क./2021-22 जांजगीर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 21.997 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1037/गौण खनिज/न.क./2021-22 जांजगीर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 मीटर दूर है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-13/2011/12 नया रायपुर, दिनांक 21/10/2020 द्वारा जारी की गई है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 805 (क्षेत्रफल 0.595 हेक्टेयर) शासकीय भूमि है। खसरा क्रमांक 804/2 (क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर) श्रीमती कान्तादेवी एवं खसरा क्रमांक 807 (क्षेत्रफल 1.129 हेक्टेयर) श्री दौलत राम के नाम पर है। शेष भूमि खसरा क्रमांक 804/1 (क्षेत्रफल 0.049 हेक्टेयर), 800/5क, 800/5ख (क्षेत्रफल 0.971 हेक्टेयर) तथा खसरा क्रमांक 806 (क्षेत्रफल 0.454 हेक्टेयर) आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमंडल, चांपा से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकलसरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। सोन नदी 6.5 कि. मी. एवं बोराई नदी 6.5 कि.मी. दूर है। तालाब 0.94 कि.मी. एवं नहर 0.625 कि. मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 29,55,162 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 9,27,304 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 8,67,401 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,950 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 50 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	47,668	षष्टम	25,000
द्वितीय	68,400	सप्तम	25,000
तृतीय	2,47,950	अष्टम	25,000
चतुर्थ	49,875	नवम	25,000
पंचम	49,875	दशम	25,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.65 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 939 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। गैर माईनिंग क्षेत्र में 1,644 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला है। समिति का मत है कि बरसाती नाला से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखा जाना आवश्यक है। अतः लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 50 मीटर की दूरी तक कुल 14,800 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया जाने हेतु सूचना दिनांक 28/09/2021 को प्रेषित की गई।

18. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1036/गौण खनिज/न.क्र./2021–22 जांजगीर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 21.997 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकलसरा) का रकबा 4.007 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकलसरा) को मिलाकर कुल रकबा 26.004 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the recent Gram Panchayat NOC for mining.

iv. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for usage of water.

v. Project proponent shall submit the readable copy of forest NOC.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रकाश बजाज), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1788)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 227197 / 2021, दिनांक 01 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1972, 1980 एवं 1982, कुल क्षेत्रफल–2.744 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–53,046.88 टन (21,218.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण को वापस लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स फलेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्द्रसेन मांडेकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1809)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 228346/2021, दिनांक 08/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 226, कुल क्षेत्रफल–0.25 हैक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–963.75 टन (385.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022-

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 को सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स फलेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्द्रसेन मांडेकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1810)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 228253/2021, दिनांक 08/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 187/1, कुल क्षेत्रफल–0.3 हैक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 को सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स माईन (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1446)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57836/2020, दिनांक 28/10/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/11/2021 के माध्यम से प्रकरण में नेबेट सलाहकार के परिवर्तन करने की सूचना बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14, कुल क्षेत्रफल–2.813 हैक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–36,019 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/11/2021 के माध्यम से प्रकरण में नेबेट सलाहकार के परिवर्तन करने की सूचना बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. टी.ओ.आर. के आधार पर अधिकृत नेबेट सलाहकार मेसर्स इन्व्हायरोमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को जन सुनवाई संपन्न कराने हेतु जमा करने के

पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिला–रायपुर द्वारा लोक सुनवाई दिनांक 23/07/2021 को संपन्न कराई जा चुकी है।

2. नेबेट सलाहकार मेसर्स इन्व्हायरोमेंटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा अपरिहार्य कारणों से इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त किया गया है एवं प्रकरण में आगामी कार्यवाही को किसी अन्य नेबेट सलाहकार के माध्यम से संपादित करवाने हेतु अपना अनापत्ति पत्र भी प्रेषित किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/10/2021 को मेसर्स एसिरिज इन्व्हायरोटेक इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, नोएडा को नेबेट सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है।
4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नेबेट सलाहकार के परिवर्तन करने की सूचना बाबत् अनुरोध पत्र को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री नरेन्द चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 829बी)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34758/ 2019, दिनांक 14/04/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34758/ 2019, दिनांक 04/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498, कुल क्षेत्रफल–5.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 04/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोंडपेण्ड्री का दिनांक 31/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1219/खनि.लि./खनिज/2018 बालोद, दिनांक 05/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 387/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 3 खदानें, क्षेत्रफल 11.29 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 147/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 07/05/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1807/खनि.लि.02/ई–ऑफिस/2019 दुर्ग, दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493 आवेदक, खसरा क्रमांक 494, 495 श्री दीना कुमार एवं खसरा क्रमांक 498 श्री धनेश दम्मानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा क्रमांक 496 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2019/1573 दुर्ग, दिनांक 30/03/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–फुंडा 3.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,38,000 टन, माईनेबल रिजर्व 12,49,176 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 11,24,258 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,122 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 58,408.5 घनमीटर में से 18,776 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण एवं शेष 33,812.5 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,000
चतुर्थ	60,000
पंचम	60,000

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	60,000
सप्तम	60,000
अष्टम	60,000
नवम	60,000
दशम	60,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 को मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल

गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.2 से 66.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.08 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 54.23 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.3 डीबीए से 43.24 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 04/02/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 08/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है।

ii. ब्लास्टिंग से आस–पास के ग्रामों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्रशर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. ब्लास्टिंग कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत किया जाएगा। ब्लास्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में कन्ट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 22 खदानें आती है। वर्तमान में 3 खदानों को एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनमें से 2 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है एवं शेष 1 खदान द्वारा आवेदन अप्राप्त है। शेष 19 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 2 खदानों द्वारा

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (4 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (5,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,27,910/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 5,34,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. गांव के (2 कि.मी.) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (200 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रथम वर्ष एवं आगामी दो वर्षों तक रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 30,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 1,08,23,910/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 35,07,910/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 18,44,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में राशि 18,14,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 12,80,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सार्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (1 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 7,21,000/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,42,000/– प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quaterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/– प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 41,89,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

- प्रथम वर्ष में राशि 10,61,000/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- आगामी चार वर्षों के लिए डस्ट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख–रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,82,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VI. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 3,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त 19 खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
115	2%	2.30	Following activities at nearby Government High Schools, **Village-Gondpendri**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Solar Panel with light facility	0.80
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.30
			Total	**2.50**

23. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अपेंडिक्स–1, फॉर्म–2, प्री–फीजिबीलिटी रिपोर्ट, जारी स्टैण्डर्ड टीओआर, लोक सुनवाई दस्तावेज, फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498 का उल्लेख किया गया है, जबकि एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान में खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 497 एवं 498 का उल्लेख है।

24. वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–स्वामित्व दस्तावेज में खसरा क्रमांक 496 का उल्लेख नहीं किया गया है तथा भूमि स्वामियों द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. उपरोक्त विसंगतियों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजाना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 497 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश खसरा क्रमांक 496 का उल्लेख होना बताया गया है। आवेदित प्रकरण का कुल क्षेत्रफल 5.04 हेक्टेयर ही लीज स्वीकृत की गई है। उक्त बाबत् खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
2. कुल आवेदित क्षेत्रफल 5.04 हेक्टेयर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना बताया गया है। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. भूमि खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493 आवेदक, खसरा क्रमांक 494, 495 श्री दीना कुमार, खसरा क्रमांक 497 श्री सुनील कुमार एवं खसरा क्रमांक 498 श्री धनेश दम्मानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् समक्ष माननीय न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन में भी खसरा क्रमांक 497 का उल्लेख है। अतः खसरा क्रमांक 496 के स्थान पर खसरा क्रमांक 497 पढ़े जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1807/खनि.लि.02/ई-ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 60/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 12/11/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30.06.2020) के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम, 42(5) परंतु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग** को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 387/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोंडपेण्ड्री) का रकबा 5.04 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोंडपेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 40.392 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन की ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 497 एवं 498 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–5.04 हेक्टेयर, क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स वी.के. मिनरल्स (धौराभाठा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1779)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 226815/2021, दिनांक 28/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4(पार्ट), 1220, 1221, 1222, 1224, 1225(पार्ट), 1153/2(पार्ट), 1212/1(पार्ट), 1214(पार्ट), 1211/1, 1211/2,

1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1207(पार्ट), 1208(पार्ट) एवं 1212/2, कुल क्षेत्रफल–3.4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किशोर कुमार जैन, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा सरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 27/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – खारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक खनि 02/रेत/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(1) नया रायपुर, दिनांक 16/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 915/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 862/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3936/खनिज/ख.प्र./2021 दुर्ग, दिनांक 27/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।
7. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4159 दुर्ग, दिनांक 26/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धौराभाटा 1.4 कि.मी. स्कूल ग्राम–धौराभाटा 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सेलूद 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.56 कि.मी. दूर है। तालाब 1.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 17,00,000 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 9,29,182 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 8,36,264 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,732 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 27,698 घनमीटर है, जिसमें से 15,200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 12,498 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र 1,964 वर्गमीटर में भंडारण कर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,49,250
द्वितीय	1,49,365
तृतीय	1,50,000
चतुर्थ	1,50,000
पंचम	1,50,000
षष्टम	1,50,000
सप्तम	1,80,055

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में क्षेत्र में कुल 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के कुछ भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 1.964 वर्गमीटर क्षेत्र (डम्प क्षेत्र) एवं ऑफिस हेतु 104 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 27,698 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 15,200 घनमीटर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 2.25 मीटर की ऊंचाई तक तथा शेष ऊपरी मिट्टी की मात्रा 12,498 घनमीटर को डम्प क्षेत्र 1.964 वर्गमीटर क्षेत्र में 6.4 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक तथा डम्प क्षेत्र में स्लोप 28 डिग्री से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.30	2%	1.13	Following activities at Government Higher Secondary School, Village- Dhaurabhatha	
			Rain Water Harvesting System	1.35
			Plantation	0.05
			Total	**1.40**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
2. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना के संबंध में उपरोक्त के विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/12/2021, 10/01/2022 एवं 24/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार खसरा क्रमांक 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1223/2, 1223/3, 1223/4(पार्ट), 1221, 1222, 1207(पार्ट), 1208(पार्ट), 1153/2(पार्ट), 1212/1(पार्ट), 1212/2, 1214(पार्ट) श्री रामानुज ठाकुर, खसरा क्रमांक 1211/1, 1211/2, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1209/5, श्री बलिराम, खसरा क्रमांक 1223/1, श्रीमती ईश्वरी बाई एवं खसरा क्रमांक 1220, 1224, 1225(पार्ट) श्री विनय गुप्ता तथा श्री किशोर जैन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
2. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तुत ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना के अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 27,698 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 6,680 घनमीटर को 1.5 मीटर की ऊंचाई तक तथा गैर माईनिंग क्षेत्र में 9,715 घनमीटर को 6 मीटर की ऊंचाई तक तथा शेष ऊपरी मिट्टी 11,303 घनमीटर को 6 मीटर की ऊंचाई तक सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 1207, 1208 एवं 1214, कुल क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर में भंडारित किया जायेगा। भंडारण हेतु भूमि स्वामी की सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही अनुमोदित माईनिंग प्लान में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित ऊंचाई तक ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन को रख पाना संभव नहीं होने पर लीज क्षेत्र के बाहर अन्य उपयुक्त स्थल पर रखा जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक तथा डम्प क्षेत्र में ग्रेडिंग 28 डिग्री से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना के संबंध में उपरोक्त के विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स बिलाडी लाईम स्टोन खदारी (प्रो.– श्री संजय सहगल), ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1190)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144140/2020, दिनांक 20/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/02/2020 एवं 17/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/07/2020 एवं 19/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बिलाडी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व मे आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन मे की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों मे वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बिलाड़ी का दिनांक 06/05/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 04/ख.नि./तीन-6/उ.प./2017 रायपुर, दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.नि./तीन-6/2019/2047 रायपुर, दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.नि./तीन-6/2019/2036 रायपुर, दिनांक 24/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री शिव कुमार देवांगन के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीड डीड का हस्तांतरण श्री संजय सहगल के नाम पर दिनांक 02/09/2010 को किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड की अवधि वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./रा/3026 रायपुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बिलाड़ी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-बिलाड़ी 1 कि.मी. एवं अस्पताल तिल्दा 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन है। जियोलॉजिकल रिजर्व की गणना 6 मीटर गहराई तक की गई है। विगत 10 वर्षों में 0.93 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,866 घनमीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	933	1.5	1,400	3,500
द्वितीय	933	1.5	1,400	3,500
तृतीय	933	1.5	1,400	3,500
चतुर्थ	933	1.5	1,400	3,500
पंचम	933	1.5	1,400	3,500

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छटवें	933	1.5	1,400	3,500
सातवें	933	1.5	1,400	3,500
आठवें	933	1.5	1,400	3,500
नौवें	933	1.5	1,400	3,500
दसवें	933	1.5	1,400	3,500

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् से सहमति ली जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष में उत्खनन कर, 7.5 मीटर की पट्टी में भण्डारण/संरक्षित कर प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल – 2.9 हेक्टेयर, क्षमता – 300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर

पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2010	250
2011	500
2012	निरंक
2013	500
2014	निरंक

v. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन कार्य वर्ष 2014 से बंद है। चूंकि लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में शासकीय स्कूल, ग्राम–बिलाड़ी में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण की उपयुक्त गणना तथा कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त क्षेत्र के ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना भी नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लेण्ड यूज पैटर्न में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। अतः उपयुक्त की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त विवरण अनुसार रिजर्व की विस्तृत गणना कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश किया जाए एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. पूर्व में दिनांक 03/04/2017 को प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन होना बताया गया है, जबकि गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र में ब्लॉकड रिजर्व को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित माईनिंग प्लान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,23,750 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,97,150 टन है। साथ ही ब्लॉकड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र (ब्लॉकड रिजर्व 22,500 टन) होना बताया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि गणना में त्रुटि है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रशर की लागत को समावेश करते हुये प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
70.04	2%	1.40	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Biladi**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.30
			Total	**1.45**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय सहगल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **उत्खनन योजना** — संशोधित क्वारी प्लान एलांगविथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर

के ज्ञापन पु.क्रमांक 5112/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 08/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। जिसमें जियोलॉजिकल रिजर्व 4,31,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,04,650 टन है। साथ ही ब्लॉकड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रशर क्षेत्र 1.500 वर्गमीटर (कुल ब्लॉकड रिजर्व 22,600 टन) होना बताया गया है।

2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में इस चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल–2.9 हेक्टेयर, क्षमता–300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता–3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/03/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 13/09/2021 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 14 (वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जाना), शर्त क्रमांक 25 (न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसारित नहीं किया गया) एवं 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का पालन पूर्ण करने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित एवं निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 28 अनुसार अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स सिरिसगुड़ा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री देवेश मदौरिया), ग्राम–सिरिसगुड़ा, तहसील–लोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1874ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/70160/2021, दिनांक 17/12/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिरिसगुड़ा, तहसील–लोकापाल, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 481, 482 एवं 483, कुल क्षेत्रफल–1.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–37,500 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण वापस लिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स छिंदगांव लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ओंकार सिंह), ग्राम–छिंदगांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1875ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 70171/2021, दिनांक 18/12/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छिंदगांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1044/2 एवं 1044/4, कुल क्षेत्रफल – 2.142 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–62,500 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण वापस लिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स पुटीडीह बिन्द्रा अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्रीमती सुमन बैरागी), ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1736)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220640/ 2021, दिनांक 18/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5, कुल क्षेत्रफल–1.149 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामेश्वर प्रसाद बैरागी, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पुटीडीह का दिनांक 06/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2495/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 23/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 504/ख.लि./न.क./2021 जांजगीर, दिनांक 25/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 503/ख.लि./न.क./2021 जांजगीर, दिनांक 25/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3877/गौण खनिज/न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 11/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5 की रामेश्वर बैरागी एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2898 चांपा, दिनांक 04/06/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पुटीडीह 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–पुटीडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। महानदी 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,980 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 17,188 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 16,328 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.064 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,500 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	900	9,00,000
द्वितीय	900	9,00,000
तृतीय	900	9,00,000
चतुर्थ	900	9,00,000
पंचम	900	9,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	900	9,00,000
सप्तम	900	9,00,000
अष्टम	900	9,00,000
नवम	900	9,00,000
दशम	900	9,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 379 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at Government Janpad Primary School, Village- Putidih	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Protable Drinking Water facility	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंचमार्ग के रख–रखाव हेतु किया जाएगा। कोयले से जनित फ्लाई ऐश की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण हेतु किया जाएगा।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./6793 चांपा, दिनांक 04/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 27.23 कि.मी. की दूरी पर है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 504/ख.लि./न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पुटीडीह) का रकबा 1.149 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पुटीडीह ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्रीमती सुमन बैरागी) की ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–1.149 हेक्टेयर, क्षमता – 900 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्सन कंपनी (पार्टनर– श्री प्रशांत बोहरा), ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1282)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एम्आईएन / 147648 / 2020, दिनांक 02 / 04 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08 / 05 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 12 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 431 / 1, 2, 432 / 1, 2, 3, 433 / 1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07 / 01 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण

जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनहरदी का दिनांक 30/07/1996 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि,प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1752/ खनि02/ मा.प्ल.अनुमोदन /न.अ.05 /2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/232/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 1.761 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1771/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 23/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज पूर्व में श्रीमती पूर्णिमा बोहरा के नाम पर थी। वर्तमान में लीज महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर है। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 06/02/2007 से 05/02/2012 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 06/02/2012 से 05/02/2017 तक किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में 10 वर्षों की, दिनांक 06/02/2017 से 05/02/2027 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्रीमती पूर्णिमा बोहरा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वन मण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि. /10–1/8873 राजनांदगांव, दिनांक 01/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोहभट्ठा 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–बनहरदी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बनहरदी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है। तालाब 0.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,35,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,70,177 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,39,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,368 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता

है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 10,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 2,700 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,000
द्वितीय	5,000
तृतीय	5,000
चतुर्थ	5,000
पंचम	5,000
छष्टम	5,000
सप्तम	5,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल से की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 131/1, 2, 432/1, 2, 3, 433/1 कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर, क्षमता – 5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,368 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 510 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर (3,060 घनमीटर) की गहराई तक उत्खनित है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र का 5 मीटर (2,550 घनमीटर) गहराई को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना

आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित किया गया है। 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में केवल वृक्षारोपण किया जाना है। अतः क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थानांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करें, तदनुसार रिजर्व की पुनःरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, **Village- Banhardi**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking water Facility	0.25
			Total	**0.60**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (द्वितीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

2. लीज डीड मैसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करें, तदनुसार रिजर्व की पुनःशोधित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव की ज्ञापन क्रमांक 34/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 12/05/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2010-11	2,300
2011-12	2,110
2012-13	1,400
2013-14	3,254
2014-15	6,895
2015-16	10,268
2016-17	4,920
2017-18	5,000
2018-19	5,000
2019-20	4,995
2020-21	3,000

2. लीज डीड मैसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार रिजर्व की पुनःरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध मे विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को सरल क्रमांक 2 से 5 तक की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(उ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1107/ख.लि.02/2014 राजनांदगांव, दिनांक 08/10/2014 द्वारा लीज डीड का हस्तांतरण मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर किया गया है।

2. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित कर, तदनुसार रिजर्व की पुनःरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध मे विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित करे, तदनुसार रिजर्व की पुनःरीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की) सदस्य सचिव राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति छत्तीसगढ़	(डॉ. बी.पी. नोन्हारे) अध्यक्ष राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति छत्तीसगढ़

मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन्स को खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 497 एवं 498, कुल लीज क्षेत्र 5.04 हेक्टेयर, ग्राम–मॉडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 5.04 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 60,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।

5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को त्रैमासिक (Quaterly Yearly) प्रेषित की जाए।

6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी क्रिमनी / क्रेट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कंनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
115	2%	2.30	Following activities at nearby Government High Schools, **Village-Gondpendri**	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Solar Panel with light facility	0.80
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.30
			Total	**2.50**

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

19. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हौल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 2,000 पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

21. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग / मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

24. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

25. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

28. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

30. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त मे संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। प्रावधान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स पुटीडीह बिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्रीमती सुमन बैरागी)

को खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5, ग्राम–पुटीडीह, तहसील–कसरा, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्र 1.149 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 900 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.149 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 900 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।

10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण हेतु उपयोग किया जाए।

12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at Government Janpad Primary School, **Village- Putidih**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Protable Drinking Water facility	0.20
			Total	**0.80**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 379 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

25. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों को आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

27. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों को संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

33. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये

दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.